भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 271

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1946 (शक)

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा

271. श्री अनुराग शर्मा :

श्री बैजयंत पांडा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आम जनता के बीच, कौशल और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए प्रशिक्षण के प्रकार और कार्यक्रमों की अवधि सहित इन पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिभागियों के चयन के मानदंड क्या हैं और इन पहलों के अपेक्षित परिणाम क्या हैं; और

(घ) संचार मंत्रालय स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक केंद्रों के साथ किस तरह से सहयोग कर रहा है ताकि निवासियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत में, विशेष रूप से ग्रामिण भारत में डिजिटल साक्षरता दर में सुधार करने के लिए, (प्रति परिवार एक व्यक्ति) भारत सरकार ने "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक योजना लागू की है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक, लगभग 7.35 करोड़ अभ्यर्थियों को नामांकित किया गया और 6.39 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.78 करोड़ अभ्यर्थियों को पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया। यह योजना आधिकारिक तौर पर दिनांक 31.03.2024 को सम्पन्न हो गई है।

पीएमजीदिशा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, आदि) संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, सरकारी सेवाओं का उपयोग करने, सूचना की खोज करने, डिजिटल भुगतान करने आदि के लिए प्रशिक्षित करके सशक्त बनाना,और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित अनुप्रयोगों, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग करने में उन्हें सक्षम

बनाना है। इस प्रकार, इस योजना का उद्देश्य डिजिटल क्षेत्र की असमानता को दूर करना है। इसके लिए विशेषकर 14 से 60 वर्ष के आयु वर्ग की ग्रामीण आबादी को लक्षित किया गया है। अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), महिलाएं, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के सीमांत वर्गों को उक्त योजना के तहत शामिल किया गया था। प्रशिक्षण की अवधि 20 घन्टे की थी जिसे न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 दिनों में पूरा किया जाना था।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, एक परिवार को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया था जिसमें परिवार के मुखिया, पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल थे। ऐसे सभी परिवार जहां परिवार का कोई भी सदस्य डिजिटल रूप से साक्षर नहीं था, उन्हें उक्त योजना के तहत पात्र परिवार माना जाएगा।

यह योजना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा देश भर की 2.52 लाख ग्राम पंचायतों में फैले 4.39 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से लागू की गई थी।

उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों में पीएमजीदिशा योजना की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	जिले	प्रशिक्षित	प्रमाणित
1.	चित्रकूट	68,053	53,755
2.	बांदा	1,30,632	1,03,645
3.	झांसी	1,38,807	96,225
4.	जालौन	1,20,839	85,918
5.	हमीरपुर	61,074	44,596
6.	महोबा	81,065	60,542
7.	ललितपुर	56,366	42,904

******